AMOGHVARTA
ISSN : 2583-3189

पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की स्थितिः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. अमृता सिंह
सहायक प्राध्यापक
डिपार्टमेंट ऑफ लॉ
सिटी एकेडमी लॉ कॉलेज
लखनऊ, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध सार

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का सशक्त बनाने, उनके हितों का संरक्षण करने, उन्हे स्वतंत्रता व समानता का अवसर प्रदान कर भेदभावमूलक व्यवस्था को समाप्त करने, उनकी गरिमा व सम्मान को सुनिश्चित कर पंचायतों के हर स्तर पर उन्हे समान अवसर प्रदान करने हेतु 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थनीय स्वशासन में आरक्षण के द्वारा उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। संविधान में महिला व पुरूष सभी को मूल अधिकार के रूप में समानता का अधिकार दिया गया है। 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा जहां एक ओर पंचायती राज को स्थापित कर देश में विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान भी आरक्षित किय गये है। अभी तक जो महिलाएं घर, खेत–खेलिहान, तथा पशुपालन के कार्यों तक सीमित थी, इस प्रक्रिया से उनकी राजनीतिक सहभागिता को प्रेरणा मिली है। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के द्वारा सामुदायिक निर्णय निर्माण में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। विगत पंचायत चुनाव परिणामों से यह बात स्पष्ट है कि पंचायतों के सभी स्तरों में महिलाओं ने अपनी राजनीतिक सहभागिता को सुदृढ़ता प्रदान की है। प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द

पंचायती राज, मूल अधिकार, सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन, विकेन्द्रीकरण, ग्रामीण विकास.

प्रस्तावना

पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'पंचायतम' शब्द से हुई है जिसका अर्थ पाँच व्यक्तियों का समूह से है। गांधी जी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्तियों की सभा से लिया है। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में पंचों को चुना जाता है जो कि गाँव में छोटे–मोटे झगड़ों और तनावों को सुलझाते हैं इसीलिए इन्हें 'पंच परमेश्वर' भी कहा गया है। आज भी अधिकांश गांवों में वार्ड सदस्य को साधारण बोलचाल की भाषा में पंच ही कहा जाता है। भारत मूलतः गाँव का देश है, और प्राचीन वैदिक काल से ही यहाँ ग्रामीण विकास तथा न्याय व्यवस्था पंचायत आधारित रही है। पंच गाँव के ही वे सर्वमान्य व्यक्ति होते थे, जो निःस्वार्थ भाव से पंचायतों का काम काज संभालते तथा उनके निर्णय जनसामान्य को स्वीकार होते थे। वैदिक काल में ऐसे कार्यों के लिए सभा व समिति

का वर्णन मिलता है, जो कि लोगों की भलाई का कार्य करती थी। मुगल शासन ओर ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय स्वशासन की जड़े प्रभावित हुई फिर भी किसी न किसी रूप में इनका अस्तित्व बना रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोगों में उम्मीद जगी कि स्वशासन आने पर भारतीय स्वशासन व ग्राम पंचायत स्वराज के सपने साकार होंगे। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन को शामिल किया गया है तथा पंचायतों का गठन राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।[1] सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद पंचायतों के गठन के लिए सन् 1957 में सरकार द्वारा बलवन्त राय मेहता आयोग का गठन किया गया। आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था।[2] पंचायती राज संस्थाओं को 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक आधार प्रदान किया गया तथा महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू कर दिया गया।

साहित्य की समीक्षा

लोकतांत्रिका विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था पर कई अध्ययन किये गये है। यहाँ ऐसे संदर्भित अध्ययन की समीक्षा की गयी है, जो इस अध्ययन क दृष्टि से उपयोगी एवं प्रासंगिक है।

लक्ष्मी नारायण मीणा (2011) ने पंचायती राज की विकास यात्रा एवं नवीन स्वरूप विषय पर उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, पंचायती राज में ग्रामीण स्थानीय जनता की राजनैतिक एवं प्रशासनिक जनसहभागिता, पंचायती राज में आरक्षण की स्थिति का औचित्य, पंचायती राज में प्रशिक्षण की प्रासंगिकता एवं पंचायती राज के अन्य पक्षों का सैद्धान्तिक एंव व्यवहारिक विश्लेषण किया है।[3]

मीनाक्षी पवार ने अपनी पुस्तक पंचायती राज और ग्रामीण विकास में विस्तार से स्थानीय शासन का अध्ययन किया है। उन्होंने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मध्यकालीन भारत में पंचायतें, जातिगत पंचायते एवं कबायली पंचायतों का उल्लेखनीय किया है।[4]

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र की पद्धति वर्णनात्मक है जो कि गुणात्मक एवं गणनात्मक तथ्यों पर आधारित है। शोध प्रविधि के अंतर्गत अध्ययन के द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त साहित्य का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन द्वारा वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त कर अध्ययन विषय की अर्थपूर्ण व्याख्या की गयी है।

शोध क्षेत्र

प्रस्तुत शोध क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य का चयन सरल दैव निदर्शन विधि के माध्यम से किया गया है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्थानीय स्वशासन– ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्थानीय स्वशासन को तीन भागों में बाँटा गया है:

1. **ब्रिटिश शासन से पूर्व स्थानीय स्वशासनः** प्राचीन वैदिक काल में पंचायते बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। सभा एवं समिति का इस काल में महत्वपूर्ण स्थान था। महाभारत काल के समय में भी पंचायतों अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। पंचायत के कार्यो को स्थानीय लोगों की स्वीकृति प्राप्त होती थी और लोग उसे सहर्ष स्वीकार करते थे। राजा महाराजा भी इसके कार्यो में दखल देने से बचते थे। श्री के.एम. पणिक्कर, पंचायतों को प्राचीन भारत की बुनियाद मानते है। प्राचीन काल में युद्ध के बारे में निर्णय लेने के साथ ही पंचायते, गाँवों की सुरक्षा, कर लगाने का काम, स्थानीय झगड़ों का निपटारा, योजनाओं का निर्माण एवं उनका

क्रियान्वयन आदि का अधिकार अपने पास रखते थे। पंचायतें पुलिस एंव न्यायिक कार्य भी करती थी। भारत के पूर्व गवर्नर जनरल– चार्ल्स मेटकाफ ने पंचायत व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा हे कि 'ये छोटे गणराज्य है' जो अपने आप में स्वतंत्र है तथा ये विदेशी सम्बन्ध भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है इनमें अन्तिम कोई भी नही है। कितने ही राजवंश आये और गए जैसे– मौर्य, मुगल, अंग्रेज पर गाँव–समुदाय में यह पंचायत व्यवस्था बराबर बनी रही। मध्यकाल में गाँव, कस्बा और शहरों में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए पर पंचायत व्यवस्था किसी न किसी रूप में चलती रही लेकिन इस काल में पंचायत व्यवस्था में निरन्तरता का आभाव पाया गया है।[5]

2. **ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय स्वशासनः** भारत में जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर रही थी। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य स्थानीय संस्थाओं का विकास करना नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य तो व्यापारिक गतिविधियों को भारत में बढ़ाना था। अंग्रेज भारत को एक अच्छे व्यापारिक केंद्र के रूप में देखते थे, उन्होने प्रारंभ में इन संस्थाओं के विकास में इतना सा योगदान दिया कि कई कस्बों में अंग्रेजों द्वारा शासन में कुछ लोगों को नामित किया गया। सन् 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद बंगाल में ऐसी परिस्थिति बनी कि लार्ड मेयो ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार स्थानीय परंपराओं को बनाएं रखा जा सके।[6] सन् 1882 में लार्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन को संस्थानों के भू–प्रशासनिक सिद्धांत दिये गये। लार्ड रिपन ने राज्य सरकारों को स्थानीय संस्थानों के लिए परिपत्र जारी किया। इसके बाद स्थानीय संस्था अधिनियम 1885 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन की संस्थानों को बढ़ाना था, परंतु अभी भी ग्रामीण स्तर पर शासन में नामित सदस्यों बहुमत था[7] इसीलिए लार्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, सन् 1919 में मांटेग्यू–थेम्सफोर्ड सुधार हुआ, जिसके द्वारा राज्यों में द्वैध शासन स्थापित किया गया तथा स्थानीय संस्थानों को हस्तांतरित विषयों में रखा गया। स्थानीय संस्थाओं को मंत्रियों के अधीन रखा गया। ब्रिटिश शासन इस बात का प्रमाण था कि भारत के बहुत से राज्यों ने पंचायत अधिनियम पारित कर दिये थे।

3. **स्वतंत्रता के पश्चात् स्थानीय स्वशासनः** स्वतंत्रता के पश्चात 26 जनवरी सन् 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। संविधान में स्थानीय स्वशासन को राज्य–सूची के अंतर्गत रखा गया। भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया तथा राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उनको स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।[8] भारत में स्वंतत्रता के पश्चात सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 1948 में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव भी सम्पन्न हुए। सन् 1952 में ग्रामीण विकास की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में सामुदायिक विकास योजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गयी, जिसका उत्तरदायित्व सरकारी पदाधिकारियों को दिया गया। परिणामस्वरूप यह योजना वंछित सफलता प्राप्त न कर सकी। इसके कार्यो एवं असफलताओं के कारणों का अध्ययन करने के लिए केन्द्र सरकार ने बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक आयोग गठित की, जिसने अपना प्रतिवेदन नवम्बर 1957 में प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में आयोग नें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का त्रि–स्तरीय मॉडल दियाः

   1. **ग्राम स्तरः** ग्राम पंचायत।
   2. **खण्ड स्तरः** पंचायत समिति/क्षेत्र पंचायत।
   3. **जिला स्तरः** जिला परिषद/जिला पंचायत।

आयोग के त्रि–स्तरीय मॉडल को स्वीकार करते हुए इसे लागू कर दिया गया। त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू होने के साथ इन संस्थानों को स्थानीय स्वशासन के साथ ही ग्रामीण विकास का भी दायित्व सौंपा

गया।[9] 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया तथा महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू हुआ।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में व्यापक राजनीतिक सहभागिता एवं विकास के लिए स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जायें। 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायती राज में एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये है। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता एवं पंचायतों में नेतृत्व बढ़ा है जो कि एक ऐतिहासिक कदम है। विगत 2021 के पंचायत चुनाव परिणाम इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। उ०प्र० पंचायत चुनाव 2021 के चुनाव परिणाम में महिलाओं की स्थिति और उनका प्रतिशत निम्नवत् हैः

तालिकाः उ.प्र. के पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की स्थिति

क्र.सं.	पंचायती राज संस्था	जनप्रतिनिधि	कुल जनप्रतिनिधियों की संख्या	कुल निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या	कुल निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियो का प्रतिशत
1.	जिला पंचायत	जिला पंचायत अध्यक्ष	75	42	24.00
2.	क्षेत्र पंचायत	ब्लाक प्रमुख	825	447	54.20
3.	ग्राम पंचायत	ग्राम प्रधान	58176	31212	53.70
		कुल योग	66476	31701	43.96

वैसे तो पंचायत चुनावों में महिलाओं का आरक्षण 33.33 प्रतिशत है किंतु विगत वर्ष 2021 के ग्राम पंचायत चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व 53.7 प्रतिशत रहा, तथा क्षेत्र पंचायत चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व 54.2 प्रतिशत रहा है। उ.प्र. के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब महिलाओं ने इतने बड़े स्तर पर अपनी जीत सुनिश्चित की है। उपर्युक्त आंकड़े पंचायतों में महिलाओं के नेतृत्व एंव राजनीतिक सहभागिता के सशक्त हेाने के प्रमाण है। महिला नेतृत्व आज ग्रामीण विकास एवं निर्णय निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि उ.प्र. के पंचायती राज व्यवस्था में संविधान की मंशा के अनुरूप पंचायतों के तीनों स्तरों पर महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाने के कानूनी प्रावधान प्रदान किये गये हैं जिनका उपयोग महिलाओं के द्वारा अपने नेतृत्व के माध्यम से अपनी राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जा रहा है। महिलाएं आज पंचायतों के तीनों स्तरों पर अपनी भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन कर अपनी भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत कर रही है। जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। आज महिलाएं परिवार के साथ–साथ देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में अपनी भूमिकाओं का बखूबी निर्वहन कर रही है। वे आज घर के कामकाज के साथ पंचायतों में नेतृत्व, उत्पादन, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, तथा समाज के अन्य संस्थानों एवं प्रक्रियाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहीं है।

संदर्भ सूची

1. त्रिपाठी, एम. एन. (2016) *भारत की संविधान,* पुस्तक सदन प्रकाशन, इलाहाबाद, 2016, पृ. 42।
2. शर्मा, के. के. (2001) *भारत में पंचायती राज प्रशासन,* कालेज बुक डिपो जयपुर, पृ. 6।
3. मीणा, लक्ष्मीनारायण (2011) *पंचायती राज तथा जनप्रतिनिधित्व दशा और दिशा,* लिटरेरी सर्किल, जयपुर, पृ.

21–22।

4. पवार, मीनाक्षी (2010) *पंचायती राज और ग्रामीण विकास,* क्लासिकल पब्लिरिंग कंपनी, पृ. 24–26।
5. जोशी, आर.पी.; नरवानी, जी.एस. (2011) *पंचायत राज इन इण्डिया,* रावत पब्लिकेशन्स, पृ. 11–12।
6. कुलश्रेष्ठ, नीतिश (2012) *पंचायती राज एंव ग्रामीण विकास योजनाएँ,* रितु पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 11–12।
7. पामेला, सींगला (2010) *बीमेन्स पार्टीसिपेशन इन पंचायती राज, नेचरएण्ड इफेक्टिवनेस,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 64–65
8. नगेन्द्र, शैलजा; अम्बेडकर, एस.एन (2011) *वीमन एम्पावरमेंट एण्ड पंचायती राज,* एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 174–175।
9. https://panchayatiraj.up.nic.in, Accessed on 30/03/2025.

––==00==––